न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 31 / 2024

1 प्रभाती देवी आयु 65 साल पुत्री बिड़दू जाति जाट निवासी रींगस तहसील रींगस जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 पेमाराम पुत्र श्री बिड़दुराम उम्र 75 साल
2 प्रभात पुत्र श्री बिड़दुराम उम्र 55 साल
3 गणपत पुत्र श्री बिडदुराम उम्र 53 साल
4 बनवारी पुत्र श्री बिड़दुराम उम्र 50 साल
5 गोदाराम पुत्र श्री बिड़दुराम उम्र 47 साल
6 प्रभात उर्फ प्रभुदयाल पुत्र मांगुराम उम्र 70 साल
7 मुरली पुत्र मांगुराम उम्र 55 साल समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
8 सुखदेव पुत्र श्री छोटूराम (मृतक)
8/1 सोनी पुत्री सुखदेव
8/2 सन्ती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद पुत्र सुखदेव
8/3 वहादुर सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र सुखदेव
8/4 वावुलाल पुत्र सुखदेव
8/5 महावीर प्रसाद पुत्र सुखदेव
8/6 गीता पुत्री सुखदेव
8/7 सन्तरा पुत्री सुखदेव
9 गोपाल पुत्र श्री छोटूराम मृतक
9/1 सुरजी देवी पत्नी गोपाल
9/2 मुरली पुत्र गोपाल
9/3 बोदुराम पुत्र गोपाल (मृतक)
9/3/1 सुमन देवी पत्नी बोदुराम
9/3/2 सुदेश कुमार पुत्र बोदुराम
9/3/3 बबीता पुत्री बोदुराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9/3/4 अंकित कुमार पुत्र बोदुराम
9/4 ओमप्रकाश पुत्र गोपाल मृतक
9/4/1 मोहनी देवी पत्नी ओमप्रकाश
9/4/2 सोनाक्षी पुत्री ओमप्रकाश
9/4/3 जितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
9/4/4 रोहित पुत्र ओमप्रकाश
9/5 चावली देवी पुत्री गोपाल
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
10 गोविन्दराम पुत्र श्री छोटूराम मृतक
10/1 कोयली देवी पत्नी गोविन्दराम
10/2 महेन्द्र पुत्र गोविन्दराम
10/3 मंगलचन्द पुत्र गोविन्दराम
10/4 किशनलाल पुत्र गोविन्दराम
10/5 मंजू देवी पुत्री गोविन्दराम
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
11 फुली देवी पत्नी श्री छीतरमल
12 बल्लुराम पुत्र श्री छीतरमल
13 मनभरी देवी पुत्री छीतरमल
14 सुरजमल पुत्र श्री छीतरमल
15 रामदेव पुत्र श्री छीतरमल
16 सागर पुत्र श्री छीतरमल
17 तीजा देवी पुत्री श्री छीतरमल
18 मोहन पुत्र श्री छीतरमल
19 रामचन्द्र पुत्र श्री गीगाराम
20 मीरा देवी पुत्री श्री छीतरमल
21 गोदी देवी पत्नी श्री श्रीराम
22 बजरंग पुत्र श्री श्रीराम मृतक
22/1 आंची देवी पत्नी बजरंगलाल
22/2 कमलेश पुत्र बजरंगलाल
22/3 मोहनी देवी पुत्री बजरंगलाल
22/4 अनिता पुत्री बजरंगलाल
22/5 हंसराज पुत्र बजरंगलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

23 मदन पुत्र श्री श्रीराम
24 दोलाराम पुत्र श्री श्रीराम
25 प्रेम देवी पत्नी श्री सीताराम
26 भोलुराम पुत्र श्री सुवाराम मृतक
26/1 गुमानी देवी पत्नी भोलुराम
26/2 बिमला देवी पुत्री भोलुराम
26/3 तारा देवी पुत्री भोलुराम
26/4 रामचन्द्र पुत्र भोलुराम
26/5 सुशीला पुत्री भोलुराम
26/6 मंजू पुत्री भोलुराम
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
27 भागचन्द पुत्र श्री सुवालाल मृतक
27/1 हरलाल पुत्र भागचन्द
27/2 मदनलाल पुत्र भागचंद
27/3 नरेश कुमार पुत्र भागचन्द
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
27/4 सोहनी देवी पुत्री भागचन्द पत्नी हरफूल जाति जाट निवासी रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल लालासर तहसील रेनवाल जिल जयपुर राज.।
28 गिरधारी पुत्र श्री सुवालाल मृतक
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
29 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर/खण्डेला जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 08.06.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर
बसिलसिले दावा उनवानी पेमाराम आदि बनाम सुखदेव
आदि दावा सं. 874/2021 (139/2007) दावा बाबत
इस्तकरारहक व स्थायी नि ोधाज्ञा
अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 62 / 2024

1 पेमाराम पुत्र बिड़दूराम
2 बनवारीलाल पुत्र बिड़दूराम

अपीलान्टस

बनाम

1 प्रभात उर्फ प्रभुदयाल पुत्र मांगूराम
2 मुरली पुत्र मांगूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट / वादी संख्या 6 व 7

3 सुखदेव पुत्र श्री छोटूराम (मृतक)
3 / 1 बाबुलाल पुत्र सुखदेव
3 / 2 महावीर प्रसाद पुत्र सुखदेव
3 / 3 सोनी पुत्री सुखदेव
3 / 4 गीता पुत्री सुखदेव
3 / 5 सन्तरा पुत्री सुखदेव
3 / 6 बहादुर सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद
3 / 7 सन्ती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
4 गोपाल पुत्र श्री छोटूराम (मृतक)
4 / 1 सुरजी देवी पत्नी गोपाल
4 / 2 मुरली पुत्र गोपाल
4 / 3 बोदुराम पुत्र गोपाल (मृतक)
4 / 3 / 1 सुरेश कुमार पुत्र बोदुराम
4 / 3 / 2 अंकित कुमार पुत्र बोदुराम
4 / 3 / 3 बबीता पुत्री बोदुराम
4 / 3 / 4 सुमन देवी पत्नी बोदुराम
4 / 4 ओमप्रकाश पुत्र गोपाल मृतक
4 / 4 / 1 जितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
4 / 4 / 2 रोहित पुत्र ओमप्रकाश
4 / 4 / 3 सोनाक्षी पुत्री ओमप्रकाश
4 / 4 / 4 मोहनी देवी पत्नी ओमप्रकाश
4 / 5 चावली देवी पुत्री गोपाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
5 गोविन्दराम पुत्र श्री छोटूराम मृतक
5/1 कोयली देवी पत्नी गोविन्दराम
5/2 महेन्द्र पुत्र गोविन्दराम
5/3 मंगलचन्द पुत्र गोविन्दराम
5/4 किशनलाल पुत्र गोविन्दराम
5/5 मंजू देवी पुत्री गोविन्दराम
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 फुली देवी पत्नी श्री छीतरमल
7 बल्लुराम पुत्र श्री छीतरमल
8 मनभरी देवी पुत्री छीतरमल
9 सुरजमल पुत्र श्री छीतरमल
10 रामदेव पुत्र श्री छीतरमल
11 सागर पुत्र श्री छीतरमल
12 तीजा देवी पुत्री श्री छीतरमल
13 मोहन पुत्र श्री छीतरमल
14 रामचन्द्र पुत्र श्री गीगाराम
15 मीरा देवी पुत्री श्री छीतरमल
16 गोदी देवी पत्नी श्री श्रीराम
17 बजरंग पुत्र श्री श्रीराम मृतक
17/1 आंची देवी पत्नी बजरंगलाल
17/2 कमलेश पुत्र बजरंगलाल
17/3 मोहनी देवी पुत्री बजरंगलाल
17/4 अनिता पुत्री बजरंगलाल
17/5 हंसराज पुत्र बजरंगलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
18 मदन पुत्र श्री श्रीराम
19 दोलाराम पुत्र श्री श्रीराम
20 प्रेम देवी पत्नी श्री सीताराम
21 भोलुराम पुत्र श्री सुवाराम मृतक
21/1 गुमानी देवी पत्नी भोलुराम
21/2 बिमला देवी पुत्री भोलुराम
21/3 तारा देवी पुत्री भोलुराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

21/4 रामचन्द्र पुत्र भोलुराम
21/5 सुशीला पुत्री भोलुराम
21/6 मंजू पुत्री भोलुराम
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
22 भागचन्द पुत्र श्री सुवालाल मृतक
22/1 हरलाल पुत्र भागचन्द
22/2 मदनलाल पुत्र भागचंद
22/3 नरेश कुमार पुत्र भागचन्द
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
22/4 सोहनी देवी पुत्री भागचन्द पत्नी हरफूल जाति जाट निवासी रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल लालासर तहसील रेनवाल जिल जयपुर राज.।
23 गिरधारी पुत्र सुवाराम जाति जाट निवासी रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर। (मृतक अविवाहित नाऔलाद फौत)
24 भूमिधारी श्रीमाधोपुर/खण्डेला जिला सीकर।
25 प्रभात पुत्र बिड़दूराम
26 गणपत पुत्र बिड़दूराम
27 गोदाराम पुत्र बिड़दूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस तहसील खण्डेला जिला सीकर।
28 प्रभाती देवी पुत्री बिड़दू जाति जाट निवासी रींगस तहसील रींगस जिल सीकर।

रेस्पोडेन्टस/वादी संख्या 2, 3, 5

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2022 मु.नं.
874/2021 बउनवानी पेमा आदि बनाम सुखदेव आदि
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री शिवदयाल यादव, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट
3. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 26.2.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 874/2021 (139/2007) में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 928, 934, 1138 जिसके नये खसरा नम्बर 1315, 1361, 1362, 1503, गत खसरा नम्बर 1575, 979, 1576, 986, 979/2955 के हाल खसरा नम्बर 2098 से 2106, 2116, 2117, 2118, 2115, 1471 वाके ग्राम रींगस का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपीलें धारा 5 व अपील संख्या 31/2024 धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री नोपाराम ने तर्क दिया कि वादी संख्या 6 व 7 चालाक किस्म के व्यक्ति है जिन्होंने वादी संख्या 1 ता 5 से यह कहकर हस्ताक्षर करवाये कि वे वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 का नाम हजफ करवा रहे है तथा वाद पत्र को वादी संख्या 1 ता 5 को पढाये बिना बिना बताये तथा धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवा लिए तथा वादी संख्या 1 ता 5 के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1315, 1361, 1362, 1503 कुल किता 4 कुल रकबा 3.94 है. को अपने नाम करवाने की डिक्री प्राप्त कर ली जो डिक्री कपटपूर्वक प्राप्त की हुई है इसलिए विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। वादी संख्या 1 ता 5 की भूमियों को अदला बदली के झूंठे अभिकथन करके तथा बंटवारा लिखावट बाबत झूंठे कथन करके वादी संख्या 1 ता 5 की भूमि खसरा नम्बर 1315, 1361, 1362, 1503 कुल किता 4 कुल रकबा 3.94 है. को वादी संख्या 6 व 7 ने अपने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नाम से करवाने की डिक्री प्राप्त कर ली जबकि वादी संख्या 1 ता 5 व इनके पूर्वज ने भूमियों की कोई अदला बदली नहीं की तथा ना ही वादी संख्या 1 ता 5 ने अदला बदली कर डिक्री में प्राप्त भूमि बाबत कोई वंटवारा लिखावट दिनांक 22.04.1973 को की। वादी संख्या 6 व 7 द्वारा कथित बंटवारा लिखावट दिनांक 22.04.1973 वादी संख्या 1 ता 5 व इनके पूर्वज द्वारा डिक्री भूमि बाबत नहीं की गयी है। वादी संख्या 1 ता 5 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की हाल ही में वादग्रस्त भूमियों की राजस्व रिकार्ड की न कल लेने पर वादीगण संख्या 1 ता 5 की भूमियों में वादी संख्या 1 ता 5 का नाम नहीं होने तथा इनके स्थान पर वादी संख्या 6 व 7 का नाम होने के कारण इसकी जानकारी प्राप्त की तब विचाराधीन निर्णय व डिक्री की पहली बार जानकारी दिनांक 13.02.2024 को हुई। जानकारी के हिसाब से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु आवेदन अ. धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2022 अपास्त फरमायी जावें।

विद्वान अधिवक्ता श्री शिवदयाल यादव ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 7 ने अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि को हड़पने की गरज से विचारण न्यायालय ने गलत वंशावली व गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये दावा पेश किया गया जबकि दावा प्रस्तुती दिवस को अपीलाधीन भूमियों की अपीलान्ट की माता बोदी देवी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थी तथा उसके बाद दौराने दावा सुनवाई खातेदार बोदी देवी से जरिये विरासतन नामान्तकरण संख्या 3790 दिनांकित 13.06.2020 अपीलाधीन भूमियों की अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। इन सभी तथ्यों व राजस्व रिकार्ड की जानकारी रेस्पोडेन्टस को शुरू से ही रही है परन्तु वास्तविक तथ्यों, वंशावली व राजस्व रिकार्ड की जानकार रेस्पोडेन्ट को शुरू से ही रही है परन्तु वास्तविक तथ्यों, वंशावली राजस्व रिकार्ड को छिपाकर रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन भूमियों बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जो ना तो चलने योग्य था और ना ही दावा निर्णित व डिक्री होने योग्य था इसलिये दावा विरूद्ध नियम व विरूद्ध रिकार्ड होने से स्वीकार होने योग्य नहीं है। अपीलान्ट अपीलाधीन कृषि भूमियों का दौराने सुनवाई वाद व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पूर्व रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थी। कानूनन इस्तकरार हक उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के वाद पत्र में सभी रिकोर्डेउ व प्रभावित खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक है परन्तु प्रस्तुत अपीलाधीन वाद–पत्र में अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय डिक्री दिनांक 18.06.2022 के तहत एक रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार के विरूद्ध जाकर वाद–पत्र डिक्री करने की कानूनी भुल की है। अपीलान्ट को अपीलाधीन वाद–पत्र में जानबुझकर पक्षकार के रूप में संयोजित किये बिना ही आपस में दुरभि संधि कर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 7 द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस संख्या 8 ता 29 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा ड्रॉप करवाने का सभी वादीगण के हस्ताक्षर करवाये बिना आवेदन पेश कर दावा वाद कारण अनुतोष के विरूद्ध जाकर वादीगण/रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 7 के मध्य ही दावा निर्णित व डिक्री करवा लिया जो नियम संगत नहीं होकर विरूद्ध कानून है। विधि का सुस्थापित आज्ञापक सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के किसी सम्पत्ति में हक निहित है जिनको समाप्त करने से पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना न्यायानुकुल है लेकिन उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार अपीलार्थी को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना ही तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व उससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति जवाब लिये बिना ही अपीलाधीन भूमियों में अपीलान्ट के हक अधिकारों को समाप्त कर भूमियां रेस्पोडेन्टस के हक हिस्से में दर्ज करने का निर्णय कर दिया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। इस प्रकार का उक्त निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि की सामान्य वांछनियताओं के विपरित होने से निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा वाद संख्या 874/2021 (पुराना 139/2007) उनवानी पेमाराम बनाम सुखदेव आदि पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 928, 934, 1138 जिसके नये खसरा नम्बर 1315, 1361, 1362, 1503 वाके ग्राम रींगस का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया। अपील संख्या 31/2024 अपीलान्ट प्रभाती देवी द्वारा धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 1315, 1361, 1362, 1503, 2098 से 2106, 2115 से 2117, 2118, 1471 में अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विरासत के आधार पर खातेदार घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने, वाद लंबित होने का कथन भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलान्ट अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः प्रभाती देवी की अपील धारा 96 के बिन्दु पर ही खारिज की जाने योग्य है। अपील संख्या 62/2024 के अपीलान्ट पेमाराम एवं बनवारी द्वारा ही विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के संदर्भ में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा दो साल के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में अपीलान्ट स्वयं वादी रहे है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय की दो वर्ष तक जानकारी नहीं होने का कथन स्वीकार्य नहीं है। अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपने अपील मेमों में अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलान्ट को धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवाये गये है। अपीलांट द्वारा इस संदर्भ में सक्षम स्तर पर आपाराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही किये जाने का कोई कथन अपील मेमों में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 928, 934, 1138 जिसके नये खसरा नम्बर 1315, 1361, 1362, 1503, गत खसरा नम्बर 1575, 979, 1576, 986, 979/2955 के हाल खसरा नम्बर 2098 से 2106, 2116, 2117, 2118, 2115, 1471 वाके ग्राम रींगस का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया।

अपील संख्या 31/2024 अपीलान्ट प्रभाती देवी द्वारा धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 928, 934, 1138 जिसके नये खसरा नम्बर 1315, 1361, 1362, 1503, गत खसरा नम्बर 1575, 979, 1576, 986, 979/2955 के हाल खसरा नम्बर 2098 से 2106, 2116, 2117, 2118, 2115, 1471 में अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विरासत के आधार पर खातेदार घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने, वाद लंबित होने का कथन भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने से पूर्व विचारण न्यायालय में विभाजन का दावा पेश किया गया है। अपीलान्ट अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः प्रभाती देवी की अपील धारा 96 के बिन्दु पर ही खारिज की जाने योग्य है। प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2022 के विरूद्ध दिनांक 05.02.2024 को दो साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने की भी अधिकारी नहीं है।

अपील संख्या 62/2024 के अपीलान्ट पेमाराम एवं बनवारी द्वारा ही विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के संदर्भ में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिकी किया गया है।

इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा दो साल के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट स्वयं वादी रहे है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय की दो वर्ष तक जानकारी नहीं होने का कथन स्वीकार्य नहीं है। अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अपने अपील मेमों में अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलान्ट को धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवाये गये है। अपीलांट द्वारा इस संदर्भ में सक्षम स्तर पर आपाराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही किये जाने का कोई कथन अपील मेमों में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 62/2024 मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर एवं अपील संख्या 31/2024 धारा 96 एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.2.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर